उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या–88रि/ 26–2–2013
लखनऊः दिनांक 5 अक्टूबर, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

रिट याचिका सं0–1222(एस0एस0)/2013 उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.03.2013 को आदेश पारित किए गये। पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

Considering the aforesaid facts, this writ petition is finally disposed of with the direction that the representation of the petitioner, contained in Annexure No.12 to the writ petition, shall be considered and disposed of by the State Government by a speaking and reasoned order within a period of three months from the date a certified copy of this order is produced before the authority concerned.

2– उल्लेखनीय है कि याचीगण उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन द्वारा रिट याचिका के एनेक्सजर सं0–12 में उल्लिखित प्रत्यावेदन दिनांक 26.10.2012 में मुख्यतः यह मांग की गयी है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आने वाले शिक्षण संस्थाओं के सहायक अध्यापकों/सहायक अध्यापिकाओं के पदों पर भर्ती हेतु समय–समय पर अर्हतायें निर्धारित होने के बावजूद भी इन पदों पर बी0एड0, एल0टी0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, बी0पी0एड0, शिक्षा विशारद (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग व डॉ0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) शिक्षा प्रवेशिका का व शिक्षा अलंकार (राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर) आदि प्रशिक्षितों तथा अप्रशिक्षितों की भर्तियां कर समाज कल्याण विभाग के अनुमोदन के उपरान्त वेतन भुगतान किया जा रहा है। जिसमें बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षितों को 20–20 दिन के फेरों में कार्यरत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.09.1994 को दिये गये थे। परन्तु इन प्रशिक्षितों को आज तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

यह भी अनुरोध किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर–17 में उक्त परिषदीय अध्यापकों हेतु निर्धारित अर्हता न रखने वाले इन समस्त अध्यापकों की बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर निर्धारित अर्हताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौपा गया। जिसके अनुक्रम में राज्य सरकार ने प्रश्नगत संस्थाओं के अप्रशिक्षित अध्यापकों को कार्यरत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लेते हुए इनको प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया परन्तु राज्य सरकार ने उक्त नियमावली–2011 के अनुक्रम में उक्त विषयक प्रशिक्षितों को बी0टी0सी0, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण/कार्यरत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण/अन्य

प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लेकर प्रशिक्षण में नहीं भेजा गया, जिसके कारण उक्त प्रशिक्षित निर्धारित अर्हता पूर्ण करने से वंचित रहेगें। निर्धारित अर्हता पूर्ण न करने वाले इन प्रशिक्षितों को दिनांक 01.01.2006 से उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिये जाने की संस्तुति निदेशक, समाज कल्याण द्वारा नहीं की गयी है। इस प्रकार यह अनुरोध किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर–17 के निर्देशानुसार अप्रशिक्षितों की भांति उपर्युक्त विषयक प्रशिक्षितों को विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण/कार्यरत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लेते हुए प्रशिक्षण दिलाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.10.2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी0एड0, एल0टी0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, बी0पी0एड0, शिक्षा विशारद (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद) शिक्षा अलंकार व शिक्षा प्रवेशिका (राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, साकेत नगर, कानपुर) आदि डिग्री धारक प्रशिक्षित शिक्षकों की अर्हताएं उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक नियमावली–1975 में निर्धारित है जो कि प्रश्नगत शिक्षक पूर्ण नहीं करते है। प्रश्नगत संस्थाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक भी अर्हताएं पूर्ण नहीं करते थे जिनको बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करने हेतु उन्हें बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय शासन ने दिनांक 12.03.2012 को लिया था जिसके अनुपालन में प्रश्नगत शिक्षकों को बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है किन्तु उपरोक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की अर्हता पूर्ण करने का निर्णय नहीं हो सका है। जब तक उक्त प्रशिक्षित शिक्षक निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करते है तब तक उन्हें उच्चीकृत वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

4– इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के प्रस्तर–17 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है।

17(1)– राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्व प्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों अथवा विशिष्टीकृत विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक जो अधिनियम लागू होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित अर्हता नहीं रखते है, द्वारा अधिनियम के लागू होने के पॉच वर्ष की अवधि के अन्दर ऐसी निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी से अध्यापक शिक्षा की क्षमता वृद्धि एवं दूरस्थ माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण की अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करेगी। राज्य सरकार अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी।

(2) सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधतंत्र ऐसे अध्यापकों जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय नियम–15 के अधीन निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को अधिनियम के प्रारम्भ होने के पॉच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ऐसी न्यूनतम अर्हताओं के योग्य बनायेगा।

5– निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रस्तर–17(2) में उल्लिखित उपर्युक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत न्यूनतम अर्हता न रखने वाले अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता के योग्य बनाने का विधिक दायित्व प्रबंधतंत्र का है। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नगत विद्यालयों को सहायक अनुदान योजना के अंतर्गत मात्र अध्यापकों के वेतन एवं भत्ता के भुगतान हेतु अनुदान दिया जाता है। इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति प्रबंधतंत्र द्वारा ही की जाती है। ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापक, जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं, को न्यूनतम अर्हता के योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाये जाने का विधिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का न हो करके, प्रबंधतंत्र का है।

6– उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान सूची पर सम्प्रति कुल 578 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें प्राप्त सूचनानुसार अध्यापकों की कुल संख्या–2916 है। इसमें से 845 अध्यापक पूर्णतः अप्रशिक्षित हैं, शेष 2071 अध्यापकों में से बी0एड0, एल0टी0 एवं अन्य डिग्रीधारक अध्यापकों की संख्या–1990 है। बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या मात्र 81 है।. प्रश्नगत प्रत्यावेदन में ऐसे अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की मॉग की गयी है, जो बी0एड0, एल0टी0 आदि योग्यताएं रखते हैं, परन्तु नियमानुसार बी0टी0सी0 की न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं। इस श्रेणी के 1990 अध्यापकों को न्यूनतम प्रशिक्षण (विशिष्ट बी0टी0सी0) दिलाया जाना नियमानुसार अनिवार्य है।

7– प्रश्नगत रिट याचिका में याचीगण के प्रत्यावेदन दिनांक 26.10.2012 में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रस्तर–17 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अनुदानित प्रश्नगत शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत बी0एड0, एल0टी0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, बी0पी0एड0, शिक्षा विशारद (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग व डॉ0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी), शिक्षा प्रवेशिका व शिक्षा अलंकार (राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर) आदि प्रशिक्षित अध्यापकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जाय। उक्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 06 माह का पूर्ण कालिक प्रशिक्षण होता है, जिसमें 03 माह का सैद्धान्तिक(Theory) एवं 03 माह का व्यवहारिक

(Practical)प्रशिक्षण दिया जाना होगा। नियमानुसार उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों को अप्रैल, 2015 के पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

8— चूँकि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम—17(2) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण दिलाये जाने का विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय के प्रबंधतंत्र का है, अतः प्रश्नगत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने पर आने वाले व्यय को संबंधित प्रबंधतंत्र/अध्यापक द्वारा वहन किया जायेगा। इस संबंध में निदेशक, समाज कल्याण को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित प्रबंधतंत्रों/अध्यापकों से इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त करें कि विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय को उनके द्वारा वहन किया जायेगा। संबंधित प्रबंधतंत्रों/अध्यापकों से इस आशय की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.), उ0प्र0, लखनऊ से समन्वय स्थापित करके जनपदों में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (डायट) में इन अध्यापकों को प्रशिक्षित कराये जाने की रूपरेखा तैयार की जायेगी एवं तद्नुसार प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त एसोसिएशन का प्रत्यावेदन दिनांक 26.10.2012 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0—88ए (1)/26—2—2013—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4— निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5— प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन, अम्बेडकर शिक्षा निकेतन बड़ी लाल कुर्ती, कैण्ट, लखनऊ—226002.
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।